

**Merit Scholarship for SC/ST/OBC/Minorities students
studying in Colleges/Professional/ Technical Institutions.**

Application are invited from eligible students (as per criteria given below) for providing meritorious scholarship to enable them to pursue their studies.

ELIGIBILITY CRITERIA FOR STUDENTS STUDYING IN COLLEGE/PROFESSIONAL INSTITUTION.

- (i) SC/ST/OBC/Min. Students should have obtained 60% or more marks in Senior Secondary Exams/Previous classes.
- (ii) Scholarships are available to students pursuing any Degree/Diploma Course/Post Graduate Studies or any Professional/Technical Courses from (State Govt./Centre) recognized/affiliated College/Institute.
- (iii) Students belonging to SC/ST/OBC/Min. Should not be in receipt of any other scholarship during the relevant period. Student is allowed to avail the scholarship either under the state plan scheme of Centrally Sponsored Scholarship Scheme whichever is beneficial to him/her and should inform the awarding authority through the Head of the Institution by mode of a declaration.
- (iv) The applicant should submit self attested copy Caste Certificate (SC/ST/OBC) issued in the name of student or his father's name by SDM/ Deputy Commissioner (revenue), Govt. of NCT of Delhi. Domicile Certificate of Delhi if the caste (SC) certificate is not issued by the competent authority of Govt. of NCT of Delhi is required.
- (v) Family income is not applicable in the case of SC/ST students. But family income ceiling of the parents in r/o OBC and Minority students is Rs. 2,00,000/- p.a. and the income proof in the form of a self declaration (in the prescribed format) is required.
- (vi) Students getting stipend from Institutions/Government during the course of study are also eligible to get the merit scholarship.
- (vii) Consolidate list of eligible students signed by the Head of College/Institute alongwith applications and other requisite documents should be submitted to the Joint Director of the Department immediately or latest by 20.09.2015.
- (viii) The rate of scholarship will be reduced to 50% if a student who fails in the annual examination, but continues studies, except in cases where the student fails to appear in the annual examination on medical grounds of due to natural calamities or any other reason beyond his/her control.
- (ix) Intentional non appearance in the annual examination will disqualify the student from the grant of scholarship during the next academic.
- (x) In case of minority student, declaration of minority status of the student by the parent in the form of an affidavit (in a non-judicial Stamp Paper of Rs.10/-) along with three years residence proof in Delhi i.e. Ration Card/Epic/Election Photo Identity Card/Aadhaar Number, Land line Telephone Bill of MTNL, Driving License issued by GNCTD, Pass Book of Nationalized Bank or Domicile Certificate issued by SDM in Delhi is also required.
- (xi) Gap up to 3 years affidavit to be submitted by the student.
- (xii) The scholarship will be awarded as per order/notification/circular issued by the GNCT of Delhi from time to time.

Rates of Scholarship

Course of Study Group-A

- (i) Degree course in medical/engineering/B.Sc. (Agri)/ Veterinary Science/Forensic Science/Higher technical and professional studies (ii) Degree level course in Indian medicine B.A.M.S & comparable course in Ayurvedic. Unani/Tibbia and Homeopathy system of Medicine.
Hostellers Rs. 1620/- P.M. Day Scholar Rs. 900/- P.M.
- (ii) Post graduate courses in above and other technical and professional courses
Hostellers Rs. 1860/- P.M. Day scholar Rs. 960/-P.M.

Course of Study Group –B

- (i) Diploma level courses in Indian medicine B.A.M.S & comparable courses in Ayurvedic. Unani/Tibbia and Homeopathic system of medicine
- (ii) Diploma level course in Engg. Technology, Architecture, Printing Technology, Overseas, Draftsman Surveyor, Hotel Management, Catering, Applied Nutrition, Commercial Pilot License Wireless & T V Operator Sound Recording & Engineering, Photography, Film Direction, Acting, Screenplay Writing.
- (iii) Post graduate courses in science subjects.
Hostellers Rs. 1110/- P.M. Day scholar Rs. 720/-P.M.

Course of Study Group –C

Certificate courses in Engg. Technology, Architecture & Medicine Diploma & Certificate courses in Agri/Vet Sc/Fisheries/Dairy/Public Health/Sanitary Inspector/Rural services/Library Science/Sub-officers course in National fire service college Nagpur, Degree/Post graduate Diploma & Post Graduate course in teachers training/Library Sc./Physical Edn/Music/Fine/Arts/Law/Craft Instructor/Passenger Transport Management/Associate degree in Pharmacy.
Hostellers Rs. 930/- P.M. Day scholar Rs. 630/-P.M.

Course of Study Group –D

- (i) General courses upto graduate level
Hostellers Rs. 804/- P.M. Day scholar Rs. 420/-P.M.
- (ii) Post graduate studies in Arts & Commerce & other Subjects
Hostellers Rs. 930/- P.M. Day scholar Rs. 630/-P.M.

WHERE TO GET APPLICATION FORM:

Format of application form, consolidated statement (to be filled by the Head of College/Institution concerned), Self Declaration of Family Income (for OBC/Min. only) & Electronic Clearing Service Proforma (in r/o Student & College/Institution concerned) may be downloaded from the Department's website www.scstwelfare.delhigovt.nic.in.

WHERE TO SUBMIT THE APPLICATION FORM:-

Application(s) complete in all respects, duly forwarded by Head of College/Institution concerned, should be addressed and forwarded to Dy. Director (Scholarship), Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Minorities, B-Block, 11nd floor, Vikas Bhawan, IP Estate, New Delhi-110002 on or before the closing date between 10.00AM to 1.00 PM.

Students once applied for the above scholarship may log on the department website i.e.: www.scstwelfare.delhigovt.nic.in for information with regard to status of their application.

*Applicant and form attesting authority/college authority, who gives false and fabricated documents/information will be prosecuted.

Principal Secretary

(Department for The welfare of SC/ST/OBC/MIN.)

महाविद्यालयों / व्यावसायिक / तकनीकी संस्थानों में अध्ययनरत अनु. जाति / अनु. जनजाति / अ. पि. वर्ग / अल्पसंख्यक छात्रों के लिए योग्यता छात्रवृत्ति

पात्र छात्रों को उनका अध्ययन जारी रखने में सक्षम बनाने हेतु योग्यता छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए उनसे (नीचे दिए गए मानदण्डों के अनुसार) आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं

महाविद्यालयों / व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के लिए पात्रता मानदण्ड

- अनु. जाति / अनु. जनजाति / अ. पि. वर्ग / अल्पसंख्यक के छात्रों ने वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा / पिछली कक्षाओं में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों।
- ये छात्रवृत्तियाँ मान्यता प्राप्त / संबद्ध महाविद्यालय / संस्थान (राज्य सरकार / केन्द्र) के किसी व्यावसायिक / तकनीकी पाठ्यक्रम या किसी डिग्री / डिप्लोमा पाठ्यक्रम / स्नातकोत्तर अध्ययन में अध्ययनरत छात्रों के लिए उपलब्ध है।
- अनु. जाति / अनु. जनजाति / अ. पि. वर्ग / अल्पसंख्यक छात्रों को संगत अवधि के दौरान अन्य कोई छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए। छात्र को या तो राज्य योजना स्कीम अथवा केन्द्रीय रूप से प्रायोजित छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति का लाभ उठाने की अनुमति है, इसमें जो उसके लिए लाभकारी हो और उसे घोषणा के माध्यम से संस्थान के प्रमुख के जरिए देने वाले प्राधिकरण को इसकी सूचना देनी चाहिए।
- आवेदक को छात्र या उसके पिता के नाम पर एसडीएम / उपायुक्त (राजस्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र (अनु. जाति / अनु. जनजाति / अ. पि. वर्ग) की सत्यापित प्रती जमा करनी चाहिए। दिल्ली का अधिवास प्रमाणपत्र, यदि जाति का प्रमाणपत्र (अनु. जाति) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया हो।
- पारिवारिक आय अनु. जाति / अनु. जनजाति छात्रों के मामले में लागू नहीं है। परन्तु अ. पि. वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों के माता पिता के संदर्भ में परिवार की आय सीमा 2,00,000 रु. प्रति वर्ष है और आय के प्रमाण के रूप में स्वयं घोषणा (निर्धारित प्रारूप में) देने की आवश्यकता है।
- संस्थानों / सरकार से अध्ययन के दौरान स्टाइपेंड प्राप्त करने वाले छात्रों को भी योग्यता छात्रवृत्ति पाने की पात्रता है।
- पात्र छात्रों की समेकित सूची पर महाविद्यालय / संस्थान प्रमुख के हस्ताक्षर सहित आवेदन और अन्य आवश्यक दस्तावेज विभाग के उप निदेशक के पास तत्काल या अधिक से अधिक 20.09.2015 तक जमा किए जाएं।
- यदि छात्र वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो छात्रवृत्ति की दर 50 प्रतिशत तक कम कर दी जाएगी, किन्तु अध्ययन जारी रखता है, सिवाए उन मामलों के, जहाँ छात्र चिकित्सा आधार पर या प्राकृतिक आपदाओं के कारण या अपने नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से वार्षिक परीक्षा में बैठने में असमर्थ रहता है।
- वार्षिक परीक्षा में जानबूझ कर न बैठने से अगले शैक्षिक वर्ष के दौरान छात्र को छात्रवृत्ति प्रदान करने से अयोग्य कर दिया जाएगा।
- अल्पसंख्यक छात्रों के मामले में छात्र की अल्पसंख्यक स्थिति की घोषणा उसके माता पिता द्वारा एक शपथ पत्र पर (10 रु. मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर में) के साथ अल्पसंख्यक छात्रों के मामले में दिल्ली में तीन वर्षों से निवास अर्थात् राशन कार्ड / एपिक, निर्वाचन फोटो पहचान कार्ड / आधार नंबर, एमटीएनएल का लैंडलाइन टेलीफोन बिल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी इंडिजेंट लाइसेंस, राष्ट्रीयकृत बैंक की पास बुक और एसडीएम द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र भी आवश्यक है।
- 3 वर्ष तक का अंतराल होने पर छात्र द्वारा शपथपत्र जमा किया जाए।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार समय समय पर जारी आदेश / अधिसूचना / परिपत्र के अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

छात्रवृत्ति की दरें

समूह ए के लिए अध्ययन का पाठ्यक्रम

- मेडिकल / इंजीनियरिंग / बी. एससी (एग्री.) / पशु चिकित्सा विज्ञान / न्यायालयिक विज्ञान / उच्चतर तकनीकी और व्यावसायिक अध्ययन में पाठ्यक्रम डिग्री (पप) भारतीय चिकित्सा बी.ए.एम.एस. और आयुर्वेदिक में, चिकित्सा की युनानी, तिब्बती और होमोपैथिक प्रणाली तुलना योग्य डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम छात्रावासी 1620 रु. प्रति माह डे स्कॉलर 900 रु. प्रति माह
- उपरोक्त में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और अन्य तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम छात्रावासी 1860 रु. प्रति माह डे स्कॉलर 960 रु. प्रति माह

समूह बी के लिए अध्ययन का पाठ्यक्रम

- भारतीय चिकित्सा बी.ए.एम.एस. और आयुर्वेदिक में, चिकित्सा की युनानी, तिब्बती और होमोपैथिक प्रणाली तुलना योग्य डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम
- अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, वास्तु शास्त्र, मुद्रण प्रौद्योगिकी, ओवरसीयर, ड्राफ्टमैन, सर्वेयर, होटल मैनेजमेंट, कंटेरिंग, अनुप्रयुक्त पोषण, वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस, वायरलेस और टी. वी. ऑपरेटर, साउंड रिकॉर्डिंग और इंजीनियरिंग फोटोग्राफी, फिल्म निर्देशन, संपादन, अभिनय, पटकथा लेखन में डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम
- विज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम छात्रावासी 1110 रु. प्रति माह डे स्कॉलर 720 रु. प्रति माह

समूह सी के लिए अध्ययन का पाठ्यक्रम

- अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी, वास्तुशास्त्र और चिकित्सा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और कृषि / पशु चिकित्सा विज्ञान / मछली पालन / डेयरी / सार्वजनिक स्वास्थ्य / स्वच्छता निरीक्षक / ग्रामीण सेवा / पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम / राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर में उप अधिकारी पाठ्यक्रम / अध्यापक प्रशिक्षण / पुस्तकालय विज्ञान / शारीरिक शिक्षा / संगीत / फाइने आर्ट्स / विधि / क्राफ्ट अनुदेशक / यात्री परिवहन प्रबंधन डिग्री / स्नातकोत्तर डिप्लोमा और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम / फार्मसी में संबद्ध डिग्री छात्रावासी 930 रु. प्रति माह डे स्कॉलर 630 रु. प्रति माह

समूह डी के लिए अध्ययन का पाठ्यक्रम

- स्नातक स्तर तक सामान्य पाठ्यक्रम छात्रावासी 804 रु. प्रति माह डे स्कॉलर 420 रु. प्रति माह
- कला और वाणिज्य तथा अन्य विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन छात्रावासी 930 रु. प्रति माह डे स्कॉलर 630 रु. प्रति माह

आवेदन पत्र कहां से प्राप्त करें :

आवेदन पत्र का प्रारूप, समेकित विवरण (संबंधित महाविद्यालय / संस्थान के प्रमुख द्वारा भरा जाए), पारिवारिक आय की स्वयं घोषणा (केवल अ. पि. वर्ग / अल्पसंख्यक छात्रों के लिए) और इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा पत्र (संबंधित महाविद्यालय / संस्थान के संदर्भ में) को विभाग की वेबसाइट www.scstswelfare.delhigovt.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

आवेदन पत्र कहां जमा करें :

सभी प्रकार से भरे गए आवेदन, संबंधित महाविद्यालय / संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत अंग्रेषित, इन्हें उप निदेशक (छात्रवृत्ति), अनु. जाति / अनु. जनजाति / अ. पि. वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विकास भवन, बी-ब्लॉक, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-110002 के पास समापन तिथि को या उसके पूर्व सुबह 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे के बीच पहुंच जाने चाहिए। उपरोक्त छात्रवृत्ति के लिए एक बार आवेदन करने वाले छात्रों को अपने आवेदन की स्थिति के विषय में जानकारी पाने के लिए विभाग की वेबसाइट अर्थात् www.scstswelfare.delhigovt.nic.in पर लॉग ऑन करना चाहिए।

* आवेदक और प्रपत्र का सत्यापन करने वाले प्राधिकारी / विद्यालय के प्राधिकारी, जो झूठे और जाली दस्तावेज / जानकारी देते हैं, उन्हें अभियोजित किया जाएगा।

प्रधान सचिव